प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ए0बी0–पी0एम0जे0ए0वाई0,
चुतर्थ तल, नवचेतना केन्द्र,
10, अशोक मार्ग, हजरतगंज लखनऊ

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः ए0बी0–पी0एम0जे0ए0वाई0 / पत्रा–481(TC) / 2020–21 / 1003 लखनऊ : दिनांक 31 जुलाई, 2020

विषय–:**आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत डिस्ट्रिक्ट इम्पलीमेन्ट यूनिट में कार्यरत कार्मिकों के स्थानीय यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।**

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयक कृपया अवगत कराना है कि आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत डिस्ट्रिक्ट इम्पलीमेन्ट यूनिट में कार्यरत कार्मिकों के स्थानीय भ्रमण हेतु भ्रमण व्यय प्रतिपूर्ति का प्राविधान एक निश्चित राशि–सीमा तक किया गया है, जिस सम्बन्ध में स्टेट हेल्थ ऐजेन्सी, ए0बी0–पी0एम0जे0ए0वाई0 के पत्र संख्या एन0एच0पी0एम0 / पत्रा– 481(TC) / 18–19 / 244 दिनांक 21.02.2019 को संदर्भित किया जा सकता है।

स्टेट हेल्थ ऐजेन्सी, ए0बी0–पी0एम0जे0ए0वाई0 के संज्ञान में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि जनपदवार इस मद में अवमुक्त राशि से स्थानीय यात्रा व्यय प्रतिपूर्ति का भुगतान अपेक्षित वित्तीय औपचारिक्ताऍ (यात्रा विवरण / भ्रमण पंजिका / नामित अधिकारी द्वारा सत्यापन) के बिना की जा रही है जो वित्तीय अनियमित्ता की श्रेणी में आंकलित किया जाता है।

उपरोक्त के क्रम में सूच्य है कि सम्बन्धित राशि का भुगतान के पूर्व सभी आवश्यक औपचारिकताऍ पूर्ण की जायें तथा दीघ्रकालिक परीक्षण हेतु अभिलेखों एवं पंजिका का रख–रखाव उचित रूप से किया जाये।

भवदीय,

(डा0 राजेन्द्र कुमार)
संयुक्त निदेशक

पत्रांक : ए0बी0–पी0एम0जे0ए0वाई0 / पत्रा–481(TC) / 2020–21 / : तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को सादर सूचनार्थ।

भवदीय,

(डा0 राजेन्द्र कुमार)
संयुक्त निदेशक